

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

समक्ष-एम०के०सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 533-दो/15 विरुद्ध आदेश
दिनांक 27.12.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल
संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 636/अपील/2011-2012.

- 1- खेमचन्द्र पुत्र श्री मूलचन्द्र
- 2-खिलान सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र
- 3- चरन सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र
- 4-गोविन्द सिंह श्री मूलचन्द्र
- 5- लाखन सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र मृत

वारिसान:-

- ए- राजबाई बेबा पत्नी श्री लाखन सिंह
- बी- राजेन्द्र सी-पूजा डी-रोशनी
- ई- रवीन्द्र एफ- विक्की सभी पुत्र एवं
पुत्री पिता श्री लाखन सिंह नावालिग
द्वारा सरपरस्त माँ राजबाई
पत्नी श्री लाखनसिंह

- 6- केशरबाई पुत्री मूलचन्द्र मृत
- वारिसान:-

- ए- जुगल पुत्र भगवानदास
- बी- पवन पुत्र श्री भगवानदास
- सी- अरविन्द पुत्र भगवानदास
- डी- जूली पुत्री भगवानदास
- 7- फूल्लो बाई पुत्री मूलचन्द्र
- 8- प्रेमबाई पुत्री मूलचन्द्र
- 9- कोमल बाई पुत्री मूलचन्द्र
- 10-राजबाई पुत्री मूलचन्द्र
निवासीगण तिरंगा चौराहा
बासौदा जिला विदिशा म०प्र०

--- आवेदकगण



विरुद्ध

- 1-शशि बाई वेवा हरीसिंह
- 2-शुभम 3- लकी पुत्रगण
हरीसिंह नावालिग सरपरस्त माँ
माता शशि बाई
- 4- नेहा 5- शिवानी पुत्रियां हरीसिंह
- 6- बल्लो बाई पुत्री खूबसिंह अहिरवार
समस्त निवासीगण तिरंगा चौराहा
बासौदा जिला विदिशा म०प्र०

--- अनावेदकगण

आवेदकगण अधि० श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव
अनावेदकगण अधि० श्री सुनीलसिंह जादौन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19 - 5-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 636/अपील/2011-2012 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2014 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2-प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि तहसीलदार के न्यायालय में आवेदकगण 1 लगात 5 द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत विभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदकगण मूलचंद के पुत्र हैं उनके पिता का देहांत हो गया है। मृतक मूलचंद के उत्तराधिकारी होने के आधार पर ग्राम नसीदपुर तहसील बासौदा में सर्वे क्रमांक 27/1 रकवा 0.084 है० 32/1 रकवा 1.069 है० 44 रकवा 1.724 है० कुल किता 3 रकवा 2.877 है० के विभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.10 को विभाजन आवेदन स्वीकार कर भूमि विभाजन का आदेश फर्द बटान अनुसार स्वीकृत किया था।





3- तहसीलदार के आदेश से परिवेदित होने से अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 43/अपील/10-11 पर दर्ज होकर दिनांक 26.6.12 को निरस्त हुई इससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय में अपील 636/अपील/11-12 प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 27.12.14 को अपील स्वीकार की गई जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4- प्रकरण में अपील में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकों का समग्र रूप से परिशीलन किया गया।

5-आवेदक के अधिवक्तागण द्वारा यह भी बताया गया है अपर आयुक्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.14 के विरुद्ध इस न्यायालय में ऑफको रियल स्टेट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड सिरोंज द्वारा भी रिवीजन प्रस्तुत की है। दोनों निगरानी एक ही आदेश के विरुद्ध होने से दोनों निगरानी को संयुक्त करते हुये दोनों पक्षों के तर्क सुने गये तथा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी बासौदा एवं अपर आयुक्त भोपाल के अभिलेखों का अध्ययन किया गया उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

6- आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क है कि अपर आयुक्त भोपाल के समक्ष अनावेदकगण क्रमांक-5 लाखन की मृत्यु दिनांक 6.11.14 तक केशरबाई की मृत्यु 27.8.14 को हो चुकी थी। अपर आयुक्त के न्यायालय में उक्त प्रकरण आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिये बिना आदेश पारित किया जबकि अपील अवेट हो चुकी थी आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्राबधानों के तहत 90 दिवस में विधिक वारिसानों

Rb



को रिकार्ड पर न लाने से अपील अबेट हो चुकी थी । आवेदक अधिवक्ता का तर्क यह भी है कि सहखातेदार खेमचन्द ने दिनांक 16.6.2014 को शशिबाई की सहमति से भूमि विक्रय की थी। अतः शशि बाई की सहमति से भूमि विक्रय की थी। अतः शशिबाई ने धारा 115 साक्ष्य विधान के तहत विभाजन में आपत्ति करने से भी विवंधित है।

7-अनावेदकगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि दिनांक 28.5.2012 को अनावेदकगण नेहा व शिवानी ने प्रथम अपील न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन दिया था उन्होंने अपील नहीं की विभाजन विधि अनुसार उनकी ओर से शशि बाई को अपील करने का अधिकार है । उनका यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त भोपाल का आदेश स्थिर रखा जावे।

8- इसीप्रकार निगरानी क्रमांक के सह प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया गया कि वे ग्राम नसीदपुर की आरजी क्रमांक 44/1 रकवा 0.313 है0, 44/2 रकवा 0.313 है0, 44/3 रकवा 0.313 है0 44/4 रकवा 0.313 है0, 44/5 रकवा 0.313 है0, कुल रकवा 1.566 है0 भूमिस्वामी है। भूमि पर दिनांक 26.3.14 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नाम दर्ज हुआ है। भूमि क्य करने के पूर्व अनिल कुमार, मनीष कुमार, भूरीबाई के नाम राजस्व कागजात में दर्ज थी, उन्होंने अनावेदकगण की जानकारी में भूमि क्य की है। अनावेदकगण के आपस में मिलकर दिनांक 24.12.2014 को तथ्यों को छिपाते हुये आदेश कराया, जबकि अपर आयुक्त भोपाल के न्यायालय में आदेश के पूर्व भूमि उनके नाम थी, उन्होंने अपील की कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि कि प्रकरण के आवेदकगण को भूमि उनके नाम होने का भलीभांति ज्ञान था।

9- आवेदकगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि लाखन सिंह पुत्र मूलचंद का दिनांक 27.2.2014 के पूर्व स्वर्गवास हो चुका था

Rk



लाखन सिंह के वैद्य वारिसानों को पक्षकार बनाये बिना अपर आयुक्त का आदेश न्याय संगत नहीं है।

10- आगे यह भी तर्क है कि खेमचंद, खिलान, चरणसिंह, लाखन सिंह अपना हिस्स पूर्व में ही अनिल कुमार, मनीष कुमार पुत्रगण शिवकुमार को विक्रय कर चुके थे जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार की उक्त व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना अपील प्रचलन योग्य नहीं है। तहसील न्यायालय द्वारा धारा 178 के तहत विधि संगत आदेश पारित किया था। शशिबाई अपीलांट के हिस्से पर बटवारे से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जावे।

11- प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि बादग्रस्त भूमि का भाग दिनांक 26.3.2014 को अनिल कुमार आदि ने ऑफको रियल स्टेट को विक्रय किया है तथा अनिल कुमार को उक्त भूमि चरण सिंह, खेमसिंह, गोबिन्द सिंह, लाखनसिंह, खिलानसिंह द्वारा फुल्लोबाई की सहमति से दिनांक 27.7.2011 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की है जिसके आधार पर ऑफको रियल स्टेट इण्डिया का नाम वर्ष 2014 में राजस्व कागजात में दर्ज हुआ है।

12- तहसील न्यायालय के आदेश की समीक्षा करने से यह स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा धारा 178 भू-राजस्व संहिता के नियमों का पालन करते हुये सहखातेदारों को इस सूचना देने उपरांत सहखातेदारों की सहमति से विभाजन का आदेश पारित किया है। आदेश पूर्व ग्राम पटवारी द्वारा मैके फर्द बटान भी तैयार की जिस पर सहखातेदार लाखन सिंह, खिलानसिंह, गोबिन्दसिंह के हस्ताक्षर एवं खेमचन्द, कोमलबाई, चरणसिंह, राजोबाई, केशरबाई, फुल्लोबाई के हस्ताक्षर हैं।

14- बटवारे के आवेदन के पूर्व की खसरा, खतौनी एवं फर्द बटान रिपोर्ट के अनुसार हरीसिंह के उत्तराधिकारी शुभम, भूमि, एवं


Rb



शिवानी तथा हरीसिंह की पत्नि शशिबाई का नाम 0.131 है0 पर दर्ज रहा है। विभाजन आदेश में भी उनके स्वत्व के रकवे को उसी अनुसार रखा गया है। अतः तहसीलदार के न्यायालय द्वारा विधि संगत रूप से विभाजन का आदेश पारित किया है। अपर आयुक्त भोपाल का यह मत है कि उक्त प्रकरण में अपीलांटगण को तहसील न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया विधि संगत नहीं है। फुल्लोबाई, केशरबाई, प्रेमबाई, कोमलबाई, राजबाई के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पूर्व में अपना हिस्सा लिया जा चुका है तथा भूमि पर उनका आधिपत्य नहीं है। हिन्दू लॉ के अनुसार उनके द्वारा पूर्व में हिस्सा ले जाने का तय प्रकट किया तथा फर्द बटान पर भी अपनी सहमति दी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का प्रकरण क्रमांक 636/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27.12.14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है फलस्वरूप तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक 33/अ-27/09-10 में पारित आदेश दिनांक 24.12.10 स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

R



एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर